

# AIDWA



- संपादकीय
- आइए एक न्यायसंगत, धर्मनिरपेक्ष और जनतान्त्रिक भारत के लिए संघर्ष करें-मरियम धावले
- 5 अगस्त
- एक साल के बाद कश्मीर-सुभाषिणी अली
- अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान-संयुक्त अभियान का पर्चा
- राहत इंदौरी - श्रद्धांजली
- स्कीम वर्कर्स, खास तौर पर आशा वर्कर्स का गौरवमय संघर्ष
- महिलाओं को नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों करना चाहिए-अर्चना प्रसाद
- कोविड के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालो द्वारा भारी लूट और केरला की मिसाल
- बलात्कार पीडिता-रामपरी एडवा बिहार राज्य उपाध्यक्ष
- ईदगाह-प्रेमचंद
- इंडियन मैचमेकिंग - याशिका दत्ता
- कमला हैरिस

## सम्पादकीय

'हो सकता है हम न पहुँच पाए

वैसे भी आज तक हम पहुँचे कहाँ हैं

हमें कहीं पहुँचने भी कहाँ दिया जाता है

हम किताबों तक पहुँचते-पहुँचते रह गए

न्याय की सीढ़ियों से पहले ही रोक दिए गए

नहीं पहुँच पाई हमारी अर्जियाँ कहीं भी

हम अन्याय का घूँट पीते रह गए

जा रहे हम यह सोचकर कि हमारा एक घर था कभी

अब वह न भी हो

तब भी उसी दिशा में जा रहे हम

कुछ तो कहीं बचा होगा उस ओर

जो अपना जैसा लगेगा'

- संजय कुन्दन

अगस्त का महीना तो 15 अगस्त का ही महीना होता है। एक ऐसा महीना जब नए सिरे से आजादी के मायने को समझने की कोशिश होती है, जब आजादी के संघर्ष के अनेक पहलुओं पर विचार किया जाता है। इस साल का अगस्त का महीना भिन्न था। 15 अगस्त के पहले 5 अगस्त आया और आजादी के बाद, देश के नागरिकों के बड़े हिस्से की आजादी छिन जाने की पहली बरसी आई। 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर की जनता के जनवादी अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए किया था। इस हमले की एहमियत और उसके बाद जम्मू-कश्मीर, खास तौर से कश्मीर की जनता द्वारा सहन की गयी अनंत आपदाओं का लंबा वर्णन इस बुलेटिन में आपको मिलेगा। लंबा तो है लेकिन एक साल भी लंबा होता है और एक साल की पीड़ा की दुख भरी दास्तान भी लंबी ही होती है।

अबकी साल का 5 अगस्त केवल पिछले साल के 5 अगस्त की बरसी ही नहीं थी बल्कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए चुनी गयी तिथि थी। यह तिथि जान बूझकर चुनी गयी थी। विलकुल वैसे जैसे 6 दिसंबर की तिथि 1992 में चुनी गयी थी दृ बाबा साहब डा भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर ही उनके संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जबरदस्त प्रहार करते हुए, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। और 5 अगस्त को ही, जिस दिन भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बड़ा प्रहार करते हुए देश के अकेले मुस्लिम-बाहुल राज्य के दो टुकड़े करते हुए उसकी जनता के जनवादी अधिकारों को केवल अधिग्रहित ही नहीं गया था बल्कि इस अधिग्रहण के खिलाफ उनकी आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, उन्हें गूंगा बना दिया गया था। उसी 5 अगस्त को भूमि पूजन करके, देशवासियों से आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा ने अपने हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की ओर एक और कदम उठाया। उस हिन्दू राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा इसकी तस्वीर उस भूमि पूजन के मंच पर देखने को मिली दृ एक भी महिला, दलित, आदिवासी या पिछड़े के लिए उस पर कोई जगह नहीं थी। अल्पसंख्यक के होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर इस सच्चाई के बारे में याद दिलाने की किसी को आवश्यकता थी, तो 5 अगस्त की रात को ही, उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस इलाके में जहां फरवरी में दंगा हुआ था, वहाँ के दंगा पीड़ितों के घरों के सामने, संघ परिवार के लोगों ने रात भर पटाखे छुड़ाए, अश्लील नारे लगाए, और उन लोगों को जिनके जख्म अब भी हरे थे अपने घरों को छोड़कर चले जाने को चिल्ला चिल्ला कर कहा

तो अबकी साल, 15 अगस्त के आते आते, आजादी कैसे हासिल की पर विचार कम और उसे कैसे खोने लगे हैं इस पर अधिक विचार करने के लिए हम सब मजबूर हुए।

ऐसा नहीं कि प्रतिरोध को दबाया जा चुका है। प्रचार-प्रसार के माध्यमों में जगह न होने पर भी, सरकार की दमनकारी नीति की बेरहमी के बावजूद, प्रतिरोध जिंदा है और, शायद, कुछ बढ़ भी रहा है। मजदूरों, किसानों, खेतमजदूरों और हर वर्ग की महिलाएं अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। स्कीम कर्मी, खास तौर से आशा बहनों ने शानदार 2 दिन की हड़ताल करके, अपनी हिम्मत का एक बार फिर परिचय दिया। हरियाणा में तो आशा बहनों की हड़ताल आज तक चल रही है। इस बुलेटिन में उनके जबरदस्त संघर्ष की कुछ रिपोर्टें हैं।

इस बीच, हिम्मती प्रतिरोध का परिचय एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दिया। उन्होने सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख न्यायाधीश के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की थी उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया। उन्होने माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया और अब मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। इस मामले के कई बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पिछले एक साल में सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार लोगों को निराश किया है। सीएए, कश्मीर का सवाल और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर उसने सुनवाई के लिए समय नहीं निकाला, राम जन्म भूमि मामले में उसने एक ऐसा फैसला दिया जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, कोरोना की महामारी, लाक डाउन और प्रवासी मजदूरों के साथ

किया गया अमानवीय, कभी न भुलाये जाने वाले व्यवहार पर प्रभावशाली हस्तक्षेप न करना, इन तमाम बातों ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति लोगों के अटूट विश्वास को निश्चित रूप से चोट पहुंची है। इसलिए प्रशांत भूषण का अडिग रहना और उनके समर्थन में हजारों वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व न्यायाधीश, सम्मानित नागरिकों और बुद्धिजीवियों का उतरना इस बात का प्रमाण है कि जागरूकता की चिंगारियाँ सुलग रही हैं, आग भड़क भी सकती है।

हमारे संगठन से जुड़ी लाखों बहनों ने भी इस एक माह के समय में महत्वपूर्ण पहल दिखाई है। 20 अगस्त, श्री नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के दिन, अंध विश्वास के खिलाफ जन विज्ञान अभियान के साथ मिलकर शुरू की गयी मुहिम वक्त का तकाजा है। 28 अगस्त को, अन्य तमाम महिला संगठनों के साथ मिलकर 'देश भर में उठी आवाज - जीवन, जीविका और जनवाद' का नारा बुलंद करके, हर तरह की हिंसा के विरुद्ध लड़ने का प्रण करके, महिलाओं की बड़ी ताकत को संगठित करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

उस प्रयास का यह बुलेटिन भी एक हिस्सा ही है।

सुभाषिणी अली, संपादक

## आइए एक न्यायसंगत, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक भारत के लिए संघर्ष करें

### मरियम धावले, एडवा महासचिव

हमने अभी हाल में 15 अगस्त, 2020 को हमारी स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूरे किए हैं। हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ है और 65 प्रतिशत की उम्र 35 वर्ष से कम है। हम एक ऐसे भारत में पले-बढ़े हैं जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। भारतीय संविधान हमें जाति, समुदाय, धर्म और लिंग से परे भारतीय नागरिक के रूप में पहचान देता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के सपने के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह और अन्य शहीदों ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान किया जो समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हो। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने शोषण और गरीबी से मुक्त राष्ट्र का सपना देखा था।

इन सपनों की ज़मीन को कोविड महामारी और तालाबंदी ने जिस तरह से कुचला, और जिस असंवेदनशील तरीके से जन विरोधी भाजपा और आरएसएस सरकार ने इससे निपटा, ऐसी क्रूर हकीकत आज से पहले कभी सामने नहीं आई।

### बढ़ती पीड़ाएं

पहले लोक डाउन के छह महीने बाद भी, लोग रोजमर्रा के दुखों से लगातार जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन का सेवन कम हो गया है। गरीबों के चेहरे पर भूख की महामारी स्पष्ट झलकती है। यह सब जानते हैं कि भोजन की कमी की स्थितियों में, सबसे अधिक मार महिलाओं पर पड़ती है जो सबसे अंत में भोजन करती हैं। क्या भोजन की इस कमी को सरकार ने गंभीरता से लिया

है? नहीं। गरीबों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं और चावल और गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। फिर भी भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल 117 देशों में से 102 पर है। दुनिया में भूखे लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है।



अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी ने लाखों लोगों को काम की तलाश में शहरों में फिर से लौटने को मजबूर किया है। यह, कोविड -19 संक्रमण के खतरों के बावजूद जारी है। जैसा कि कुछ प्रवासी महिला श्रमिकों ने बताया, "हम वैसे भी मर जाएंगे, अगर हम गांवों में रहना जारी रखेंगे, तो यह भूख हमें मार डालेगी"। सरकार के लंबे-चौड़े दावे के बावजूद, करोड़ों भारतीय बेरोजगार हैं और निकट भविष्य में काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यह महिलाओं को बढ़ती तस्करी और बाल विवाह की सबसे खराब स्थितियों की तरफ धकेलेगा।

हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भयानक कमजोरीयां और इस महामारी के दौरान आम नागरिकों को जो परेशानी और तनाव झेलना पड़ रहा है, वह अब अच्छी तरह से कलंबद्ध है। अस्पतालों के बाहर महिलाओं को जन्म देने की भयावह घटनाएं, एक बच्चा जो स्टेशन पर अपनी मृत माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम छवियाँ हमें लंबे समय तक पीड़ा देंगी। सत्तारूढ़ शासन नागरिकों के स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1 प्रतिशत से कम खर्च कर रहा है और परिणामस्वरूप बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गई हैं। भारत में दुनिया में सबसे अधिक लोग पेचिश और मलेरिया से मरते हैं। 5 साल से कम उम्र के एक करोड़ से ज्यादा बच्चे हर साल निमोनिया और दस्त जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों के शिकार होते हैं। लगभग 50 प्रतिशत किशोर भारतीय लड़कियों का वजन कम है और 52 प्रतिशत एनीमिक हैं, उन में खून की कमी है।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ महिलाओं को मूलभूत सुविधाओं के बिना गुजारा करना पड़ता है। मासिक धर्म पर बात करना लगभग निषेध है और अनेक महिलाओं की अभी भी सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है। लगभग 46 फीसदी महिलाएं मासिक धर्म के समय सुरक्षा के लिए हाइजीनिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं और करीब 39 फीसदी महिलाएं अभी भी खुले में शौच करती हैं। शौचालय का अभाव और मासिक धर्म अभी भी अनेक युवा लड़कियों को स्कूलों से दूर रखता है।

**आगे की चुनौतियां**

हमारे देश के युवा, जो हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा हैं, उनका भविष्य क्या है? युवा महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं- कि वे मनपसंद ढंग से जीवन जी सकें और उन रूढ़ियों से ऊपर उठ सकें जो उन्हें बताती है कि लड़की क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है। पढ़ाई करने, नई चीजें सीखने और करियर चुनने की आजादी, अपने जीवन साथी को चुनने की आजादी या फिर शादी नहीं करने की आजादी। सड़कों पर उत्पीड़न या परेशानी के बिना चल पाने की स्वतंत्रता। हिंसा से मुक्ति। बेखौफ़ बोलने की आजादी।

2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की साक्षरता दर और भी बहुत कम है। उच्च शिक्षा के दरवाजे अभी भी बहुमत के लिए बंद हैं।

महिलाओं को लगातार कहा गया है कि उन्हें "विनम्र और सौम्य" होना चाहिए और सामाजिक मानदंडों में फिट होना चाहिए। महिलाओं को अपनी राय बनाने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या पसंद जताने की स्वतंत्रता नहीं है। बहुतों को यह निर्णय लेने की भी अनुमति नहीं है कि वे जो पैसा कमाती हैं, उसे कैसे खर्च किया जाए। पूँजीवादी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है और नियंत्रित किया जाता है। महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं लेकिन उन्हें बोलने का अधिकार बहुत कम है, न उनकी सुनवाई होती है। तुरंत अपनी राय सुनाने वाला पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को अपने अनुरूप ढालने के लिए मजबूर करता है। महिलाएं अभी भी सुरक्षा, गतिशीलता, वित्तीय आजादी, असमान वेतन और पूर्वाग्रह के मुद्दों का सामना कर रही हैं।

महिलाओं द्वारा किया गया 5:1 प्रतिशत काम अवैतनिक है और देश की जीडीपी में नहीं गिना जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, महिला श्रम शक्ति भागीदारी (एफएलएफपी) में 131 देशों में से भारत 121 वें स्थान पर है। ये डेटा बताता है कि श्रम शक्ति में महिला की कम भागीदारी के कारण भारत ने 2018 में \$ 1.4 ट्रिलियन और GDP में 2.8 ट्रिलियन डॉलर के बीच खोया है। लेकिन महिलाएं घर चलाती हैं और इसलिए असंगठित क्षेत्रों में असुरक्षित काम में धकेल दी जाती हैं, जिससे उनका शोषण बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं की "दुनिया की महिलाओं की प्रगति - 2019-2020" रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित 4.5 प्रतिशत भारतीय घर—यानि कुल 1.3 करोड़ घर - एकल माताओं द्वारा चलाए जाते हैं।

महिलाएं अपने घरों, कार्यस्थलों या सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम गृहों या छात्रावासों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आश्रय गृह, जहां पहले से ही पीड़ित महिलाएं/ लड़कियां आती हैं, वहाँ उन पर और अधिक यौन अत्याचार के अनेक मामले सामने आए हैं, और इन आश्रय गृहों को बदनामी झेलनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार के भयावह उदाहरण राज्य सरकारों और पुलिस की अपराधों पर अंकुश लगाने में विफलता को उजागर करते हैं। साइबर क्राइम और ट्रोलिंग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के नवीनतम रूप हैं।

### **आइए एक न्यायसंगत, धर्मनिरपेक्ष और जनतान्त्रिक भारत के लिए संघर्ष करें**

उदारीकरण युग के इन वर्षों के दौरान विषमताओं और असमानताओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अमीर 1 फीसदी के पास देश की 58.4 फीसदी संपत्ति है, सबसे अमीर 10 फीसदी के पास 80.7 फीसदी संपत्ति है। हमारे देश के निचले 10 फीसदी हिस्से के पास 0.2 फीसदी है। संपत्ति का ऐसा शर्मनाक केन्द्रीकरण विशाल जन समूह की कंगाली को दर्शाता है। हमारे पास दुनिया के सबसे अधिक दुर्दांत गरीब हैं। महिलाएं जिनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, वे इस हिस्से का बहुमत हैं।

हम उस दहलीज पर हैं जहां सभी भारतीय, विशेषकर महिलाओं का बहुत कुछ दाव पर लगा है। सत्तारूढ़ भाजपा-आरएसएस गठबंधन द्वारा हमारे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को हिंदू राष्ट्र में बदलने का प्रयास एक खतरनाक लक्षण है। मनुस्मृति द्वारा हमारे संविधान को प्रतिस्थापित करने के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए। नागरिकों को ध्रुवीकृत करने के लिए मोदी सरकार की धर्म और घृणा की राजनीति का एकजुट विरोध होना चाहिए। जातिगत अत्याचार में बढ़ोतरी के साथ दलित बहुत कमजोर स्थिति में हैं। हमें दलित जातियों के बचाव में खड़ा होना होगा।

एक हिंदू राष्ट्र पदानुक्रम (जन्म से ऊंच नीच/ छोटा बड़ामानना) और निषेध पर आधारित है। यह उच्च जाति के वर्चस्व और पितृसत्ता को मजबूत करता है। जैसा कि भारतरत्न डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा है , "यदि हिंदू राज एक हकीकत बनता है, तो यह निःसंदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी हानि होगी", और उन्होंने चेतावनी दी कि "यह (हिंदू राज) लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है"।

आइए हम सब एकजुट होकर भारत में मनुस्मृति पर आधारित शासन की अनुमति न दें!

**5 अगस्त, 2020**

**संपादक**

*(5 अगस्त को अयोध्या में, जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, राम मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। इसमें प्रधान मंत्री, उ प्र के मुख्य मंत्री ने प्रमुख रूप से भाग लिया।*

*इस घटना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और आगे बहुत कुछ कहा जाएगा। तमाम लोगों की भावनाओं को लेकिन, उस कविता ने झकझोरने का काम किया जिस गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने 5 अगस्त, 1900, को लिखा था। कविता का शीर्षक है, 'दीनो दान'। कविता का महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत है। अनुवादक हैं, अवधेश.)*

'उस मंदिर में कोई देवता नहीं है', सन्यासी ने कहा

राजा ने गुस्से में कहा :

"देवता नहीं हैं? ओ सन्यासी! क्या तुम नास्तिकों की तरह नहीं बोल रहे?

उस रत्नजड़ित सिंहासन पर सोने की प्रतिमा विराजमान है,

फिर भी तुम दावा कर रहे हो कि वह खाली है?"

"खाली नहीं राजदंभ से भरा हुआ है।

तुमने स्वयम को स्थापित किया है, दुनिया के देवता को नहीं" सन्यासी ने कहा

भौंहों पर बल डाल कर राजा बोला " बीस लाख स्वर्णमुद्रायें खर्च कर इस गगनचुंबी भव्य मंदिर को बनाया गया;

मैंने सभी पूजन विधियों को पूरा करके, इसे देवता को समर्पित किया,

और तुम कह रहे हो कि मंदिर में देवता के लिए कोई स्थान नहीं है"?

सन्यासी ने शांत भाव से उत्तर दिया:

"ठीक उसी साल तुम्हारी बीस हजार प्रजा भयानक सूखे से पीड़ित थी,

अन्न, वस्त्र और बेघर बेहाल प्रजा तुम्हारे दरवाजे पर आयी थी।

उनकी आँसू भरी प्रार्थना व्यर्थ रह गयी जब तुमने उन्हें दुत्कार दिया।

वे पर्वतों, गुफाओं, सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे और परित्यक्त मंदिरों में आसरा लेने को मजबूर हुए।

यह ठीक उसी साल की बात है जब तुमने यह महान मंदिर बनाने के लिए बीस लाख स्वर्ण मुद्रायें खर्च की थी,

उसी दिन ईश्वर ने घोषणा की थी:

'मेरा अनादि घर नील गगन असंख्य

दीपों से रोशन है।

मेरे घर की दीवारें चिरंतन सत्य, शांति, दया और प्रेम पर टिकी हुई हैं।

यह नीच कंजूस,

जो अपनी प्रजा को ही आसरा नहीं दे सका,

मेरे घर के लिए दान कर रहा है!

उसी दिन ईश्वर ने तुम्हारा मंदिर छोड़ दिया था।

वह सड़कों के किनारे पेड़ों के नीचे मौजूद गरीबों के पास चला गया।

अगाध समुद्र के बीच फूले फेन के खालीपन की तरह

तुम्हारा यह मंदिर खोखला है,

यह स्वर्ण और अहंकार का बुलबुला भर है।"

राजा गुस्से में चिल्लाया

"ओ भांड पापी

तू इसी क्षण मेरे राज्य से बाहर निकल जा।"

सन्यासी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया

"तुमने जिस तरह भक्तवत्सल देवता को निर्वासित किया था

अब उसी तरह उसके भक्त को भी निर्वासित कर रहे हो।"

रबीन्द्रनाथ ठाकुर



## एक साल के बाद कश्मीर

सुभाषिनी अली



जहरा मसरत, कश्मीर की मशहूर, बहादुर फोटोग्राफर को एक बार फिर सम्मानित किया गया। उन्होंने 2020 का 'बहादुर और नैतिक पत्रकारिता' के लिए दिया जाने वाला पीटर मेकलर अवार्ड जीत लिया है। जहरा का ध्यान खास तौर से कश्मीरी महिलाओं की पीड़ा को उजागर करने पर केन्द्रित रहेता है। अवार्ड पाने पर मसरत जहरा ने कहा 'हमारा काम है सच्चाई को दिखाने और इसके लिए जोखम तो उठाना ही पड़ता है।'

अप्रैल में, जहरा के खिलाफ UAPA के अंतर्गत मुकद्दमा काम किया गया था लेकिन उसने अपनी तस्वीरों के जरिया सच्चाई को बयान करना बंद नहीं किया है।

एक साल पहले, 5 अगस्त, 2019 के दिन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोक सभा में अपनी कठोर बहुमत का एक बुलडोजर की तरह इस्तेमाल करके, तमाम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक नियमों को रौंदते हुए, धारा 370 को समाप्त करने के साथ-साथ, जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े करके, एक राज्य को दो केंद्र-शासित इकाइयों में परिवर्तित कर दिया। जिस राज्य को भारत के साथ विलय के समय इस बात का आश्वासन दिया था कि उसके अधिकारों को सुरक्षित रखे जाएंगे, उसके नागरिकों के विशेष अधिकारों के साथ छेड़ छाड़ नहीं होगी और उसकी विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा, उस राज्य को, पल भर में, दो कमजोर, पूरी तरह से केंद्र सरकार की दया-मया पर आश्रित, टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया गया। जनतंत्र में बहुमत को जो अधिकार प्राप्त हैं उनका दुरुपयोग करते हुए, एक समूचे राज्य की जनता के जंतांत्रिक अधिकारों पर बड़ी क्रूरता से प्रहार किया गया और बिना उससे पूछे, बिना उससे राय-मशविरा किए, उसके भविष्य का फैसला अपने अर्जेडा के तहद कर डाला।

जले पर नमक छिड़कते हुए, उस जनता से कहा गया की यह सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही किया जा रहा था। ऐसा करने से J&K में विकास की लहर दौड़ेगी, उसकी महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और पूरे इलाके में अमन और शांति छा जाएगी।

प्रतिरोध की आवाज को रोकने के लिए केवल झूठे वादों का सहारा नहीं लिया गया। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। चप्पे-चप्पे पर, हर गली के सिरे पर, हर मोहल्ले के प्रवेश पर बंदूकधारी फ़ौजियों को खड़ा कर दिया गया, हर रास्ते को काँटेदार तार में कैद कर दिया गया। टेलीफोन और इंटरनेट को बंद कर दिया गया। समस्त जनता को गूंगा बना दिया गया। समस्त जनता को घरों के अंदर कैद कर दिया गया। स्कूल और कालेज बंद कर दिये गए और बच्चों का बचपना ही उनसे छीन लिया गया।

तमाम राजनैतिक नेताओं को जिनमें 3 पूर्व मुख्य मंत्री शामिल थे, गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अलावा, 4000 लोगों को गिरफ्तार करके कश्मीर की जेलों को इस हद तक भर दिया के फिर कैदियों को दूर-दूर की जेलों में भेजना पड़ा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों तक पहुंचाना पड़ा। इनमें से बहुत, गरीब परिवारों के सदस्य थे। उनके मा-बाप या पत्नियाँ ने बड़े जतन से पैसे और हिम्मत जुटाकर उनसे मिलने का फैसला किया। जब वह उन जेलों तक पहुंचे जहां उनके प्रियजन बंद थे, तो उनसे कहा गया की बातचीत सिर्फ हिन्दी में ही हो सकती है। कश्मीर के गरीब और कम शिक्षित लोगों को तो कश्मीरी ही आती है। लिहाजा, बिना बात किए ही कार्डियों को बड़ी मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा।

कुछ ही दिन हुए, कश्मीर में हुए कायापलट का पूरा एक साल गुजर गया। वादों को पूरा करने के लिए एक साल बहुत होता है लेकिन झूठे वादों की बात और होती है। और एक साल बाद कश्मीर की असलियत यही बता रही है की वादे झूठे ही थे।

वादा तो यह किया गया था की कश्मीरी महिलाओं को समान अधिकार दिये जाएंगे। लोक सभा में गृह मंत्री ने ज़ोर-ज़ोर से कहा कि कश्मीरी महिलाओं को अपने विरासत के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है जब वह कश्मीर के बाहर के पुरुषों से शादी करती है। (5 अगस्त, 2019 से पहले, जम्मू, लद्दाख और घाटी, तीनों के मूल निवासी, राज के नागरिक माने जाते थे)। गृह मंत्री यह भूल गए होंगे कि कश्मीर की महिलाओं ने लड़कर कई साल पहले ही बाहर के व्यक्ति के साथ शादी के बाद भी अपने विरासत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के अधिकार को जीत लिया था। यही नहीं, भारत में पारित महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून, जैसे कि घरेलू हिंसा और काम की जगह में हिंसा को रोकने वाले कानून, J&K में भी लागू कर दिये गए थे। लेकिन 5 अगस्त, 2019 के बाद, कश्मीर की महिलाओं ने बहुत कुछ खो डाला। यही नहीं कि कश्मीर के पुरुषों की तरह अब उन्हें भी अपनी ज़मीन से हाथ धोने की संभावना का सामना करना पड़ेगा जिससे धारा 370 ने उन्हें सुरक्षित रखा था, यही नहीं कि राज्य के शैक्षणिक स्थानों और नौकरियों में उन्हें नौकरी में आरक्षण का अधिकार खोना पड़ा है, इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा है।

जब टेलीफोन और इंटरनेट के तार कट गए थे तो उनका बोलने और अपने जज़्बात को व्यक्त करने का ही अधिकार नहीं छिना, बल्कि स्कूल या कालेज जाना, अस्पताल तक जाना, बाज़ार जाना – इन तमाम सामान्य अधिकारों से वह वंचित हो गईं। यही नहीं, दिन और रात जो डर और आतंक उन्हें घेरे रहता है – उनके जवान बेटे क्या उनके सामने ही मार दिये जाएंगे? जिन गोलियों की आवाज घर के अंदर घुस रही है, क्या वह गोलियां भी घर के अंदर घुस जाएंगी? बिना दवा के, बिना डाक्टर के, घर

के बीमार फरदों का क्या होगा? जो बच्चा कुछ ही दिनों में पैदा होने वाला है, वह कहाँ और कैसे पैदा होगा? शांति और चैन से जीना का अधिकार भी तो उनसे छीन लिया गया।



घर के बाहर तो उनके लिए खतरे मौजूद है ही, घर के अंदर भी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता था और उससे छुटकारा पाने के तमाम रास्ते बंद कर दिये गए थे। देश भर से रिपोर्टें आ रहे हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में बहुत बढ़ाव हुआ है। कई राज्यों में aidwa की तरफ से, अन्य संगठनों की ओर से या फिर सरकार की तरफ से हेल्पलाइन इत्यादि का प्रावधान किया गया है लेकिन कश्मीर की महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तीन-चार महीनों के बाद, फोन और इंटरनेट थोड़ा बहुत चलने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि मदद के लिए फोन करें तो किसको करें? 5 अगस्त को ही J&K महिला आयोग को बंद कर दिया गया था। उसकी अध्यक्ष, वसुंधरा मसूदी पाठक, जो एक वकील हैं, का कहना है उसके बाद से उन्हें रात दिन परेशान महिलाओं के काल आते हैं जबकि आयोग के बंद होने से पहले, ऐसा नहीं था। उनका कहना है की लाक डाउन के चलते, परिवार के अंदर महिलाओं पर हिंसात्मक हमले करने वालों पर अब कोई रोक-टोक नहीं है क्योंकि इस हिंसा की शिकार महिलाओं के पास अब मदद का कोई जरिया नहीं बचा है। पूरी घाटी में एक ही महिला थाना है और वहाँ भी उनकी सुनवाई तब तक नहीं होती जब तक वह बुरी तरह से घायल न हों। पूरे कश्मीर में पीड़ित महिलाओं के लिए किसी तरह का संरक्षण गृह नहीं है। और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा है। हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए अब अस्पताल जाना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अधिकतर आउट पेशान्ट विभाग बंद हैं। न्यायपालिकाओं के दरवाजे बंद ही हैं।

सरकार के समाज कल्याण विभाग के अनुसार, कोरोना लाक डाउन के पहले माह में ही 16 बलात्कार और 64 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन चूंकि न तो लोगों को मालूम है की इस तरह के मामलों को कहाँ दर्ज कराना है, न ही उनकी सुनवाई सुनिश्चित है, इसलिए यह आंकड़े असलियत से बहुत कम हैं।

कश्मीर के डा राउफ बताते हैं 'टकराव की स्थिति इन तीनों चीजों को और जटिल बना देती है – गरीबी, लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा। इससे अवसाद (डिप्रेशन) बढ़ सकता है। टकराव की इन स्थितियों से पैदा तनाव की भड़ास घर की महिलाओं पर उनके पुरुष निकालते हैं। इससे महिलाओं पर मानसिक बोझ और बढ़ता है।

केंद्र सरकार के कश्मीरी महिलाओं को दिये गए न्याय के आश्वासन की पोल खोलने के लिए ही नहीं बल्कि उसे तार-तार करके उसके चीथड़ों को उसके सामने रखकर उसका पर्दाफाश कश्मीरी महिलाओं ने ने २३ फरवरी, २०२० को किया। हर साल की तरह, उस दिन को उन्होंने कश्मीरी महिलाओं के साथ घटित हिंसा की एक डरावनी मिसाल की याद को ताज़ा रखने का काम किया। २९ साल पहले, २३ फरवरी १९९१ की सर्द रात में, कमसेकम ४० महिलाओं के साथ राजपूताना राइफल के जवानों पर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है। २९ साल से कश्मीर की बहादुर महिलाएं न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका मामला २ दशकों से सर्वोच्च न्यायालय के सामने है लेकिन उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। अबकी साल भी, वह सर्वोच्च न्यायालय से अपनी फरियाद लेकर सड़कों पर खड़ी थी। एक बार फिर, न्याय के द्वार से वह कितनी दूर हैं, उसका एहसास उन्हें हुआ होगा। साथ ही, केंद्र सरकार का कश्मीरी महिलाओं को दिया गया न्याय का वादा कितना बेबुनियाद, कितना झूठा है, इसका एहसास उन्होंने बहुतों को करवाया।

विकास का वादा तो भद्दा मज़ाक बनकर रह गया है। 5 अगस्त 2019 की शुरुआत टेलीफोन और इंटरनेट की बंदी से हुई। जम्मू और लद्दाख में संचार से साधन काफी आँख मिचौली खेलते रहे लेकिन घाटी को निराशा के ऐसे अंधकार धकेल दिया गया जहां से उसकी चीखें अनसुनी ही रह गईं। कई दिनों तक कश्मीर देश और दुनिया से बिलकुल ही कट गया। फिर कुछ लैंडलाइन चलने लगे लेकिन 6 महीने तक इंटरनेट बंद रखा गया। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, 2G सर्विस ही लोगों को उपलब्ध हैं जो की पूरी तरह से नाकाफी हैं।

जिन चीजों को देश के दूसरे हिस्सों में जरूरतों के रूप में देखा जाता है, ऐसी जरूरतें जिनके बगैर जीना मुश्किल है, वह कश्मीर के लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गयीं।

लोगों पर मुसीबतों का जो पहाड़ अचानक टूट पड़ा, उसको उन्होंने कैसे झेला, इसके कुछ उदाहरण सामने आए हैं। 11 नवंबर तक, घाटी के लोगों के लिए सबसे नजदीक कनेक्शन लदाख में ही उपलब्ध था जो 500 किलोमीटर दूर है। मोहम्मद शुनेद PHD के छात्र हैं। उन्हें अपने लेख अंतराष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपवानी पड़ती है। यह पता लगाने के लिए कि उनका लेख स्वीकार किया गया की नहीं, उन्हें लद्दाख तक जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। ऐसा उन्हें 6 महीनों में दो-तीन बार करना पड़ा।

11 नवम्बर को बनिहाल, जम्मू तक की रेल दोबारा शुरू हुई। अब यह सबसे करीब पड़ने वाली इंटरनेट-युक्त जगह हो गयी। सुबह 8.15 मिनट पर ट्रेन श्रीनगर स्टेशन से निकलती और देर शाम को वह लौटती। जाड़े के दिनों में, अंधेरे में जाना और अंधेरे में ही लौटना कितना मुश्किल और खतरों से भरा होता है! लेकिन ट्रेन के डिब्बे खचाखच भरे जाते और आते थे। बैठना छोड़िए, खड़े होने की जगह भी मयस्सर नहीं होती थी। लेकिन जाना और फिर आना मजबूरी थी। केवल इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए।

मेडिकल कालेज और अन्य कालेजों के प्रवेश के इम्तेहान के लिए पंजीकरण आनलाइन ही होता है। श्रीनगर में केवल मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। शहर में 10 लाख की आबादी के लिए 4 कंप्यूटर उपलब्ध थे और घंटों खड़े होने के बाद ही कंप्यूटर का इस्तेमाल संभव होता था। इसलिए बनिहाल की ट्रेन ही पकडनी पड़ती थी।

एक मेडिकल में प्रवेश पाने की इच्छुक छात्रा घर से तड़के निकली और ट्रेन से बनिहाल पहुंची। वहाँ पता चला कि इंटरनेट डाउन है। लौटकर श्रीनगर में, तमाम कोशिशों के बाद, वह कंप्यूटर के पास भी नहीं पहुँच पायी। फिर ट्रेन में बैठकर बनिहाल ही

जाना पड़ा। वहाँ तीन घंटे के इंतज़ार के बाद, कंप्यूटर उसके हाथ लगा। काँपती उँगलियों से उसने कंप्यूटर खोलकर, फार्म भरा और, आंखे बंद करके, उसने भेजने का बटन दबाया। आंखे खोलकर जब उसने देखा कि उसका फार्म चला गया है तो उससे रहा नहीं गया। वह फूट फूटकर रोने लगी और बोली 'मेरे तमाम सपने मेरी आँखों के सामने चकना चूर होते दिखाई दे रहे थे'।

संचार के साधनों के ठप्प हो जाने से, लोगों के धंधे बिलकुल चौपट हो गए हैं। केंद्र सरकार का विकास का वादा एक भद्दा मजाक बन गया है। कई कंपनियाँ हाल के दिनों में अच्छा काम करने लगी थीं लेकिन इंटरनेट की बंदी ने उनके और उनके ग्राहकों के बीच संबंध बिलकुल समाप्त कर दिया।

एक उदाहरण है परवेज़ भट्ट जो 28 साल का यू ट्यूब पर अति जनप्रिय व्यंगकर है। इसके 5 लाख 'फालोअर' थे और जो हर महीने विज्ञापन के माध्यम से ठीक-ठाक कमाई हो जाती थी। रातोंरात इंटरनेट की बंदी ने उसे गूंगा बना दिया और उसके श्रोताओं को बेहरा।

डाक्टरों और मरीजों की मुसीबतें तो दिल को दहला देने वाली हो गईं। कई मरीज इसलिए ही मर गए की उनका इलाज करने वाले डाक्टर देश के अन्य हिस्सों के विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा नहीं कर पाये।

करोना के बाद के लाक डाउन में तो परेशानियाँ और बढ़ीं।

लाक डाउन के बाद, देश भर में आनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गयी है। इससे जहाँ हर जगह उन बच्चों को शिक्षा से वंचित रख दिया गया है पहुँच के बाहर स्मार्ट फोन और लैप टॉप है, लेकिन कश्मीर के बच्चों की पीड़ा तो इनसे कहीं अधिक है। 6 महीने तक तो इंटरनेट बंद ही रहा और अब केवल 2 जी ही चल रहा है जो न चलने के बराबर है।

बताया जा रहा है कि 5 अगस्त के बाद, स्कूल और कालेज में केवल 20 दिन की पढ़ाई हुई है। 5 अगस्त को ही, अचानक, सारे स्कूल-कालेज बंद कर दिये गए थे। जब वह खुले तो बच्चों और शिक्षकों के लिए वहाँ पहुँचना ही मुश्किल था और पढ़ाई संभव नहीं हो पायी। इंटरनेट के बंद होने की वजह से, आन लाइन पढ़ाई न तब संभव थी और न आज है जब कोरोना ने उसे पूरे देश की अनिवार्यता बना दी है।

स्कूल की पढ़ाई से वंचित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। वह घबराहट के शिकार हो रहे हैं। एक तरफ, स्कूल नहीं जा सकते हैं, दूसरी तरफ उनके माँ-बाप उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं। कश्मीर की स्थिति पर कुछ गणमान्य नागरिकों जिनमें पूर्व न्यायधीश लोकुर शामिल हैं, ने जुलाई २०२० में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों पर इंटरनेट न चलने का भी बहुत भयानक प्रभाव पड़े है। पढ़ाई तो उनकी चौपट हो ही गयी है, इसके साथ उनके बारे में बताया गया है की वह अपने आपको मानसिक रूप से बिलकुल निचुड़े हुए महसूस करते हैं, वह बहुत आक्रामक हो गए हैं और उनके अंदर ज़बरदस्त निराशा का एहसास पैदा हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया की तमाम बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। बहुत आश्चर्य की बात है की इसके बारे में जब सर्वोच्च न्यायालय पूछ-ताछ की गई तो न्यायालय ने जवाब दिया की 'गिरफ्तारी केवल दिन में कुछ घंटों के लिए ही की जाती है। उस पर ज़्यादा चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ की अस्थिर परिस्थितियों में ऐसा उनके भले के लिए ही किया जा रहा है।' बाकी देश के बच्चों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय बहुत चिंता व्यक्त करता है लेकिन कश्मीर के बच्चों के प्रति उसका रावय्या बिलकुल अलग है।

शिक्षक अलग परेशान हैं क्योंकि 2G के चलते वह क्लास उपलोड नहीं कर पा रहे हैं। एक घंटे के क्लास का वीडियो उपलोड करने में उनको दो दिन भी लग जाते हैं।

आर्थिक विकास का वादा तो पूरी तरह से खोखला ही साबित हुआ है। न्यायाधीश लोकुर और अन्य की कमेटी ने बताया कि एक साल में, राज्य को 40,000 करोड़ का जबर्दस्त नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, फल-उत्पादन, हस्त-कला इत्यादि में हुए नुकसान शामिल हैं। 5 अगस्त, 2019 के पहले, J&K का आर्थिक प्रदर्शन अन्य कई राज्यों से बेहतर था लेकिन एक साल में उसमें बड़ी गिरावट आई है।

भारत सरकार का प्रयास रहता है कि वह देश के सामने इस बात को साबित करे कि कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं और वहाँ लोगों को आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते उपलब्ध हैं। इसी प्रयास के चलते, सरकार ने 8 मार्च, 2020 को 7 कश्मीरी महिला व्यवसाहियों को दिल्ली में पुरस्कृत किया। उनमें से एक, आरिफा जान, ने, बड़ी प्रधान मंत्री से सच बोलने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने कहा 'जब इंटरनेट बंद किया गया, तो सब कुछ चौपट हो गया।' बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया 'मैं राजनैतिक बात नहीं करना चाहती लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि इंटरनेट की बंदी से किसिका फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में चारों ओर देखिये। सबका नुकसान हुआ है, मेरा भी। हमें अपने कर्मचारियों को काम से हटाना पड़ा, अपने कारखाने बंद करने पड़े। हमारे ग्राहक हम तक पहुँच नहीं पाये और आनलाइन हमारा सामान खरीद नहीं सके।' आरिफा जान कश्मीर में हुई व्यवसाय, उद्योग और व्यापार की बरबादी की प्रतीक हैं।

कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या बहुत जबरदस्त है। भारत सरकार ने तो इस बात का वादा किया था कि कश्मीर के नवजवानों और नवयुवतियों को भारतीय उद्योगपति हाथो-हाथ लेकर नौकरियों में लगा देंगे लेकिन सच्चाई तो यह है कि काम पर लगे हुए हजारों लोगों का काम छिन गया है और भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने की संभावना घट रही है। फल और पर्यटन के क्षेत्र रोजगार के बड़े स्रोत हैं और ५ अगस्त की मार ने दोनों को ही रोजगार का रेगिस्तान बना दिया है। इनमें लगे हजारों लोग आज भुखमरी की कगार पर हैं।

यही नहीं, सरकार ने नागरिकता कानून में फेरबदल करके अब पूरे इलाके के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया है। ५ अगस्त 2019 के पहले बैंको और सार्वजनिक उद्यमों में नौकरियों के लिए इम्तेहान और साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी लेकिन अब उनमें भाग लेने वालों को सूचित कर दिया गया है कि वीएच इम्तेहान और साक्षात्कार रद्द कर दिये गए हैं। अब नयी नागरिकता के कानून के तहत यह फिर से करवाए जाएँगे और देश भर के लोगों को इनमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा। J&K के तमाम नौजवानों के भविष्य पर इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा। उनके लिए नौकरी (और पढ़ाई) के अवसर बहुत कम हो जाएँगे। इस नई परिस्थिति के खिलाफ घाटी के साथ लक्षाव और जम्मू में भी असंतोष भड़क रहा है।

केंद्र सरकार जो इस वक्त पूरे इलाके पर शासन कर रही है, बेरोजगारों के प्रति कितनी बेरहम है उसका उदाहरण तब सामने आया जब, कुछ ही दिन पहले, उसने SHGs (बचत गुटों) पर पाबंदी लगा दी। इसका तीखा विरोध सीपीआईएम के पूर्व विधायक, यूसुफ तारीगामी ने किया। उन्होंने बताया कि करीब 15000 बेरोजगार इंजीनियर SHG के माध्यम से अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं – इनमें कंप्यूटर इंजीनियर, बायो मेडिकल इंजीनियर इत्यादि हैं। SHGs के माध्यम से वह राज्य के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। अब सरकार उनसे ज़िंदा रहने का यह रास्ता भी छिन रही है।



५ अगस्त, २०१९ को लोक सभा और राज्य सभा के माध्यम से सरकार ने पूरे देश को बताया कि कश्मीर के लोगो मे अलगाव की भावना दफा ३७० ने पैदा की है, इसलिए उनको अपने साथ जोड़ने के लिए इसे समाप्त करना आवश्यक है। क्या दफा ३७० को समाप्त करने के बाद ऐसा हुआ है? हाल मे भाजपा से जुड़ी कई महिलाओं जिनमे चुनी हुई प्रतिनिधियाँ भी हैं, के बयान सामने आए हैं। भाजपा के कुछ नेताओं जिनमे सरपंच भी थे की पिछले एक महीने मे हत्याएँ हुई हैं। इन हत्याओं को लेकर सरकार के कई दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं – आज भी कश्मीर मे लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग भी, इतने असुरक्षित क्यों हैं? अगर सरकार आपनो को सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो वह दूसरों को सुरक्षित कैसे रखेगी? अगर दफा ३७० ही अलगाव का कारण था तो फिर उसके हटने के बाद अलगाव क्यों बढ़ रहा है? यह सवाल कितने प्रसंगिक हैं इसका हवाला यह महिलाएं दे रही हैं।

हालीमा, जो 2001 से भाजपा की सदस्य हैं, ने बताया कि अपने साथियों के साथ कश्मीर के भाजपा परवेक्षक, राम माधव, को उन्होने ज्ञापन दिया। उन्होने उनसे मांग की कि दफा 370 के हटाये जाने के हालात मे उनकी तरफ से कुछ परिवर्तन होना चाहिए और, पहले की तरह, J&K के लोगों की ज़मीन और नौकरियाँ फिर से सुरक्षित होनी चाहिए, बाहरी लोगों को वहाँ की ज़मीन का मालिक नहीं बनने दिया जाना चाहिए।’

मुबीना, जो भाजपा मे 2019 मे शामिल हुई थी, उसने यह कहकर भाजपा को छोड़ दिया कि वह भाजपा के विकास के आश्वासन से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ी थी लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।

फ़तेहपुर-बारामुला की 23 वर्षीय भाजपा सरपंच, अमन्दीप कौर, के अनुसार पंचायतों के अंतर्गत 21 सरकारी विभाग होने के बावजूद, ज़मीन पर कोई काम करते हुए नज़र नहीं आता है। उनका कहना है ‘कश्मीर मे हम ज़मीन पर अधिकारियों को तब ही देखते हैं .... जब उन्हे गांवो मे प्रशासन की तरफ से जबरन भेजा जाता है’।

जब भाजपा से जुड़े लोग इस तरह की बाते करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो फिर आम कश्मीरियों का इस नए दौर और शासन के बारे मे क्या विचार है उसे समझना मुश्किल नहीं है।

पिछले एक साल के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूरे क्षेत्र की समस्याओं के लिए दफा ३७० जिम्मेदार नहीं थी। इसका प्रमाण है कि पिछले एक साल मे कश्मीर के लोगों को किसी तरह का फायदा तो नहीं पहुंचा है और शांति की स्थापना भी एक दिव्य-स्वप्न बना रह गया है। दफा ३७० के हटाये जाने के बाद, उग्रवादी गतिविधियां और हमलों मे वृद्धि हुई है। सरकारी दावों को पूरी तरह से झुटलाते हुए हाल मे गृह मंत्रालय को कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा है। उसके द्वारा तयार की गई तथ्य-पत्रों के अनुसार, २०२० के ७ महीनों मे ९० स्थानीय लोगों ने विभिन्न आतंकवादी समूहों मे सदस्यता ली है...अधिक चिंता की बात है कि संख्या उम्मीद से ज़्यादा हो सकती है। पहले जब कोई नौजवान गायब हो जाता था और आतंकवादियों से मिल जाता था, तो उसके परिजन, पड़ोसी या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सुरक्षा बालों को सूचना दे दी जाती थी।’ एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ‘अब पोस्ट आनलाइन नहीं आ रहे हैं और परिजन भी आगे नहीं आ रहे हैं।’

मुठभेड़ मे मारे गए आतंकवादियों की पहचान की प्रक्रिया बता रही है कि उनमे से अधिकतर स्थानीय हैं अधिकारियों का कहना है कि ९०% से अधिक मारे जाने वाले स्थानीय हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 'कश्मीर घाटी मे गुस्सा महसूस किया जा सकता है। इसीलिए, चाहे जीतने आतंकवादी मार दिये जाएं, उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। नौजवानो से संबंधित गतिविधियां कोविद के चलते समाप्त हो गयी हैं। स्कूल और कालेज बंद हैं। इंटरनेट का संचार ढेर हो गया है और मनोरंजन के न होने से बहुत कड़वाहट बढ़ी है।' एक अन्य अधिकारी कहते हैं कि रोजगार के अवसरों मे आई कमी इस कड़वाहट को बढ़ा रही है।

एक साल गुजर गया है। वादा खिलाफी का एक साल। कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा ही भयावह एक साल।

और हम सब के लिए? इस एक साल ने बहुतों को इस बात का एहसास दिलाया है कि प्रजातन्त्र और नागरिकता के अधिकारो के साथ खिलवाड़ और मनमानी नियंत्रित नहीं रहती हनागरिकों के किसी एक हिस्से पर हमला, सब पर हमला होकर रहेगा।

हम कहते नहीं थकते, कश्मीर हमारा है। अब यह कहना सीखें कि कश्मीरी हमारे हैं।

### कोरोना से जंगरू मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं और विज्ञान के संग एडवा

(20 अगस्त को आज से 7 साल पहले, 2013 मे, पुणे मे अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर लोहा लेने वाले श्री नरेंद्र दाभोलकर की दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हत्या कर दी। यह उस वक्त हुआ जब वे नियमानुसार सुबह की सैर पर निकले हुए थे। यह हत्या एक श्रंखला का हिस्सा है जिसमे श्री कलबुर्गी (पूर्व उप कुलपति ), का पानसारे (CPI के नेता ) और गौरी लंकेश (वरिष्ठ पत्रकार) की हत्याएँ भी शामिल हैं। या चारों लोग बहुत ही निर्भीक तरीके से अंधविश्वास की पोल खोलते थे, वर्ण व्यवस्था की समाप्ती के प्रति समर्पित थे और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष मे मजबूती के साथ खड़े रहते थे। 20 अगस्त को जन विज्ञान अभियान से जुड़े तमाम संगठन 'अंध विश्वास विरोधी दिवस के रूप मे मनाते है। इस साल जब करोना की महामारी देश भर मे फैली हुई है और उससे निबटने के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा सरकार चलाने वाले और मीडिया कर रहा है, AIDWA ने अखिल भारतीय जन विज्ञान अभियान के साथ साझे रुप से इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने का फैसला लिया और देश भर के सैकड़ों शहरों, कस्बों और गांवों मे वैज्ञानिक सोच के पैगाम को पहुंचाने का काम किया। इस संदर्भ मे यह याद रखना आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा इत्यादि के बड़े पैमाने पर हो रहे निजीकरण के फलस्वरूप जब यह सेवाएँ इतनी महंगी हो रही हैं कि गरीब लोग ही नहीं, जनता का बड़ा हिस्सा उनको प्राप्त करने से वंचित होता जा रहा है और जिस अंध विश्वास का वह पहले से ही शिकार रहे है, उसके प्रति उनकी आस्था को बढ़ाया जा रहा है ताकि वह सरकार कि इन विनाशकारी नीतियो की ओर ध्यान न दे- संपादक)

20 अगस्त के कार्यक्रम के लिए छापा संयुक्त पर्चा

साथियों,



आजकल हमारी चर्चा का बस एक ही विषय है और वह है कोरोना। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों का ऊपर जाता आंकड़ा हमें डरा रहा है। इस डरावने माहौल में तरह-तरह की भ्रातियां भी फैल रही हैं और दूसरी ओर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी बर्बाद हैं। गरीब परिवार इस दर्द को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। एक ओर आर्थिक संकट और दूसरी ओर बीमार होने पर अस्पतालों की बर्बादी या प्राइवेट अस्पतालों का मंहगा इलाज जो वे करवा नहीं सकते। इसीलिए हमने 23 जुलाई को अपनी प्रिय नेता कैप्टन लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का नारा दिया था। कोरोना काल में मेहनतकश वर्गके साथ मध्यमवर्गभी आर्थिक बर्बादी का शिकार हो रहा है। इन स्थितियों में अंधविश्वास बहुत फल-फूल रहे हैं। कहीं कोरोना को श्देवीशू बनाकर पूजा जा रहा है तो कहीं महिलाएं कोरोना मैय्या की जयकार करती हुई नदियों में नहा रही हैं। कई श्बाबाशतांत्रिक कोरोना की दवाई बनाने का दावा कर रहे हैं। ताली,थाली,दीया के साथ मूत्र,गोबर और पापड़ तक को कोरोना भगाने के उपाय बताए जा रहे हैं।



साथियों,सच्चाई यह है कि कोरोना एक खतरनाक वायरस है जिसका इलाज अभी नहीं मिला है। वैक्सीन की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कोरोना के पहले भी दुनिया 17 महामारियों की मार झेल चुकी है। अब मामूली लगने वाली टीबी,चेचक,टायफाइड,प्लेगजैसी महामारियों का इलाज भी विज्ञान ने ही ढूंढा है।

विज्ञान का मतलब कम्प्यूटर-मोबाइल या आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल ही नहीं है बल्कि विज्ञान को हमें अपने जीवन में भी अपनाना होगा। हमें आंखें बंद कर किसी बात को नहीं मानना है बल्कि सवाल करने हैं। वैज्ञानिक चेतना से लैस समाज ही आधुनिक समाज होता है। हमारा संविधान भी वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने की बात कहता है। महाराष्ट्र के जाने-माने तर्कवादी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर ने महाराष्ट्र में अंधविश्वासों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई और उनके प्रयासों से ही महाराष्ट्र विधानसभा में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून पारित हुआ किन्तु अपनी ठगी विद्या से जनता को गुमराह करने वाले स्वार्थी तत्वों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने 20 अगस्त 2013 को उनकी हत्या कर दी।

साथियों आज हम कैप्टेन लक्ष्मी सहगल व नरेंद्र दाभोलकर को याद करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग करते हैं तथा अंधविश्वास के खिलाफ कोरोना से वैज्ञानिक नजरिएके साथ लड़ने का संकल्प लेते हैं। जब सुरक्षा ही बचाव है तो हाथ धोनाएमास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करने का भी दृढ़ संकल्प लेते हैं।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति

अखिल भारतीय जन विज्ञान अभियान

राहत इन्दौरी की याद में  
संपादक

*(जिस मुशायरे में उन्होंने भाग लिया, उसे लूट लिया। आवाज की बुलंदी और खयालात का निडर भाव, बार बार तालियों की गड-गड़ाहट और 'वाह वाह' की बौछार का बायस बन ही जाते!)*

राहत इन्दौरी एक गरीब मजदूर परिवार में पैदा हुए। कई सालों तक उन्होंने इन्दौर के कपड़ा मील में काम किया लेकिन पढ़ने-लिखने के लिए उन्होंने हमेशा समय निकाला और 'उर्दू मुशायरा' विषय में उन्होंने PHD कर डाली। और जिंदगी भर राहत साहब मुशायरे के ही बेताज बादशाह बने रहे।



हो सकता है की उनकी परवरिश और जिंदगी के अनुभवों की वजह से वह आम लोगों और आम लोगों की बोली और विचारों से ही जुड़े रहे। इसीलिए वह किताब के पन्नों पर अपने अदृश्य पाठकों से वह रिश्ता नहीं बना पाये जो उनके स्टेज पर पहुँचते ही

उनके सामने बैठे जीते-जागते लोगों के साथ तुरंत कायम हो जाता था। इस जादूई रिश्ते ने उन्हें महान चित्रकार, हुसैन के दिल में इस हद तक बैठा दिया कि वह उनका कोई मुशायरा छोड़ते नहीं थे और उनके द्वारा बनाया गया राहत साहब का चित्र उनकी गज़लों की किताब के कवर पर मौजूद है। एक दूसरे बड़े कलाकार, ए आर रेहमान ने राहत साहब की नज़मों और गज़लों को अपनी मौसीकी से सँवारने का काम भी किया।

आम लोगों के दिलों तक पहुँचने की राहत साहब की अजूबा कला के असर को उनकी मौत के बाद फूटे श्रद्धांजलि की बाढ़ में देखने को मिली। 11 अगस्त को उन्हें कोरोना से हार माननी पड़ गयी थी। यह उनकी मर्ज़ों के विपरीत था। वह लिख चुके थे:

वबा (महामारी) फैली हुई है हर तरफ

अभी माहौल मर जाने का नहीं'

लेकिन तानाशाहों और तानाशाही के सामने न झुकने वाले राहत इंदौरी की कोरोना के आगे नहीं चली।

श्रद्धांजली

### स्कीम वर्कर्स, खास तौर पर आशा वर्कर्स का गौरवमय संघर्ष

पूरे देश में, 7 और 8 अगस्त 2020 को स्कीम वर्कर्स ने दो दिन की देश-व्यापी हड़ताल की। नौकरी से निकाले जाने और जेल भेजे जाने की धमकियों के बावजूद, स्कीम वर्कर जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं और आशा वर्कर सड़क पर निकाल पड़े। कई राज्यों में, स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत ठेका मजदूरों भी हड़ताल में शामिल थे। कुछ राज्यों में जहां कोरोना की स्थिति बहुत जटिल है, आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों काम पर काला बिल्ला पहनकर गईं।

हड़ताल का आवाहन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध स्कीम वर्कर्स के यूनियन और फेडरेशन के संयुक्त मोर्चे की ओर से हुआ था। कई सालों से स्कीम वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार जुझारू आंदोलन संगठित कर रही हैं। CITU की इन संघर्षों में ज़बरदस्त भूमिका रही है। विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ताल-मेल स्थापित करने का काम भी CITU के प्रयासों से आगे बढ़ा है। इन संघर्षों का नतीजा है कि मोदी सरकार इन योजनाओं को बंद करने में असफल रही है और केंद्र व राजी सरकारों को कार्यरत कर्मचारियों की काम की परिस्थितियों में कुछ सुधार भी करना पड़ा है।

आज देश के अंदर बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के अगली कतारों की कर्मचारी, खास तौर से आशा, NHM और आंगनवाड़ी कर्मियों का जीवन ही दांव पर लगा हुआ है। इस स्थिति ने ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को दो दिन की हड़ताल का आवाहन करने के लिए मजबूर किया है। सरकार इन 'करोना योद्धाओं' को किसी प्रकार का सुरक्षा का सामान नहीं उपलब्ध करा रही है जबकि उन्हें घर घर जाकर संक्रमित लोगों का निरीक्षण करना पड़ रहा है। कोरोना सेवा के दौरान, दसियों आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों की मौत हो चुकी है लेकिन उन्हें मुआवजे या बीमा का कोई लाभ नहीं मिला है। रोज़, सैकड़ों खुद भी संक्रमित हो रही हैं। कई राज्यों में उनको वेतन 6 महीने से नहीं मिला है जबकि वेतन ही बहुत कम है। मध्यम भोजन कर्मियों को लाक डाउन के दौरान वेतन मिला ही नहीं है। इसलिए, हड़ताल की प्रमुख मांगें हैं की वेतन समय से मिले, खतरनाक काम के बदले 10,000/- प्रति माह का भत्ता मिले, सुरक्षा का सारा सामान उनको उपलब्ध कराया जाये जो कोविड ड्यूटी पर हैं और संक्रमित होने पर, 10 लाख का मुआवजा दिया जाये।

दो दिन की हड़ताल काफी प्रभावशाली रहा। 9 अगस्त को, स्कीम वर्कर्स ने मजदूरों और किसानों के प्रदर्शनों में भाग लिया।



## दिल्ली की आशा कर्मियों के संघर्ष की कुछ झलकियाँ

दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 अगस्त को सैकड़ों आशा कर्मियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के आधीन काम करती है, ने इनमे से कई कर्मियों के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर दी। एक तरफ तो सरकार 'करोना यौद्धाओं' की वीरता और सेवा भाव की भूर-भूर प्रशंसा करती है, और दूसरी तरफ उनको वेतन देने से भी इंकार करती है। अगर वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने का शर्मनाक काम करती है! जंतर मंतर पर मौजूद एक आशा कर्मि ने कहा 'हमने सरकार से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन जब उससे काम नहीं चला, तो हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें।'



दिल्ली में 5000 आशा कर्मि हैं जो तमाम डिस्पेन्सरी और स्वास्थ्य केन्द्रों पर काम करती हैं। उनमें से 150 अभी तक संक्रमित पाई गयी हैं। उन्हें घर घर जाकर सर्वे करना पड़ता है। लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी देनी पड़ती है और नए केसों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करनी पड़ती है। जहां संक्रमित लोग पाये जाते हैं वहाँ उन्हें 'क्वॉरंटाइन' का पोस्टर लगाना होता है और इसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्वॉरंटाइन में बंद लोगों को खाना और दवा मिलती रहे। इसके अलावा उन्हें संक्रमित लोगों की रिपोर्ट डिस्पेन्सरी को देनी होती है और लोगों की टेस्टिंग भी करनी पड़ती है।

कई आशा कर्मि अपने परिवार को चलाने वाली अकेले कमाने वाली हैं। एक कर्मि जो 36 साल की उम्र में ही विधवा हो गयी है ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। उनकी ड्यूटी 24/7 की रहती है क्योंकि उन्हें किसी भी समय मरीज फोन करके मदद मांग सकते हैं। उसने बताया कि चूंकि उन्हें मोहल्ले के लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है इसलिए उनको भी, हर समय, मोहल्ले वालों की सहायता के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है।

(CITU की राष्ट्रीय सचिव कॉम. AR Sindhu के इनपुट के साथ)

## कोरोना काल मे हड़ताल को मजबूर हरियाणा की आशा सुरेखा - सीटू प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा

7 अगस्त से हरियाणा की 20,304 आशा वर्कर हड़ताल पर हैं और आज 21 अगस्त है। वे अपने लिए बेहतर सुरक्षा उपकरणों, Covid 19 की प्रोत्साहन राशियों का राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 50% हिस्सा एवं इससे पहले कि 8 रूटीन की एक्टिविटी का राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 50% हिस्सा काटे जाने के विरोध में, न्यूनतम वेतन पाने एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा पाने की मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जब आशाओं की भर्ती की गई थी तब आशाओं की न्यूनतम योग्यता दसवीं पास थी... मौजूदा समय में काम कर रही आशाओं में बहुत सी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एनम एवं स्टाफ नर्स की डिग्री लिए हुए भी हैं। 2005 से स्वास्थ्य विभाग में वे महत्वपूर्ण काम कर रही है और अब कोविड-19 में उनके द्वारा किए गए काम को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

कोविड-19 में लोगों में लक्षण पहचानने, लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री जानने, ट्रेवल करके आए लोगों को अलग-थलग करने, लक्षण वाले लोगों के टेस्ट कराने, वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने, हाई रिस्क लोगों की पहचान करने का काम स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में सबसे निचले पायदान पर काम कर रही आशा वर्कर के हिस्से आया है। कोरोना वायरस से जंग लड़ने में यह काम अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम में यदि आशा वर्कर इतनी मुस्तैदी से काम नहीं करती तो संक्रमण की रफ्तार और भी अधिक हो सकती थी। हरियाणा में 20304 आशा वर्कर काम कर रही हैं। आशा वर्कर को जो कि 100% महिलाएं हैं सब बिना वेतन के मामूली सी प्रोत्साहन राशियों पर काम करने को मजबूर है। कोविड-19 के दौरान इनके काम के घंटे लगभग डबल हो गए हैं। इन्हें रोजाना 6 से 7 घंटे फील्ड में कोविड-19 का सर्वे करना होता है और फिर रिपोर्ट अपने विभाग में जमा करवानी होती है। रूटीन की काम अलग हैं।

आशा द्वारा किए गए सर्वे और तैयार की गई रिपोर्ट अधिकारियों को कंसोलिडेट ना करनी पड़े इसलिए आशाओं पर बार-बार ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जाता रहा है। आशाओं के लिए स्पेशल "आशा सर्वेक्षण ऐप" लॉन्च किया गया लेकिन आशाओं को विभाग द्वारा कोई फोन नहीं दिया गया, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया गया और ना ही उन्हें डिजिटली काम करने की कभी कोई ट्रेनिंग दी गई। इसके बावजूद, आशाओं पर लगातार डिजिटली काम करने का दबाव बनाया गया जिसे यूनियन ने अनेक तरह से विरोध दर्ज करवाकर बंद करवाया है। आशाओं के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद 2 फरवरी 2018 को सरकार के साथ हुए समझौते में आशाओं को एंड्रॉयड फोन देने का निर्णय हुआ था। सरकार आज तक यह फोन आशाओं को नहीं दे पाई उसके बावजूद भी उन पर डिजिटली काम करने का दबाव जारी है। अब 1 सप्ताह 10 दिन पहले आशाओं के सरकारी नंबरों को अचानक से बंद कर दिया गया और उनकी जगह पर उन्हें जिओ के नए 4G सिम दे दिए गए हैं। अब आशाओं के सामने संकट यह है कि वह इस सिम को किस फोन में डालें, जो फोन उनके पास है, उस फोन में उनका 4G सिम नहीं चलता है। इस कोविड महामारी के दौरान आशाओं के परिवारों में अन्य लोगों के रोजगार भी चले गए हैं जिससे उनके लिए नया फोन खरीदना भी संभव नहीं है। आज आशाओं में गुस्सा यह है कि सरकार 3 साल में आशा के लिए एक फोन नहीं खरीद पाई लेकिन सिम कोविड महामारी के दौरान फटाफट बदल दिए गए हैं।

अब आशाओं पर दबाव है कि वह हर रोज 5 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाकर उनका कोरोना टेस्ट कराएं। गांव के लोग अपना काम छोड़कर एवं किराया लगाकर कई किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहते हैं। विभाग द्वारा डाले जा रहे लगातार दबाव एवं समुदाय से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आज आशा बेहद मानसिक तनाव में हैं।

आशाओं को स्वयं भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और उनके और उनके परिवार के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं संक्रमण उनके घर तक न पहुंच जाए।

देशभर में सैकड़ों आशा वर्कर और हरियाणा में 50 के आसपास आशा संक्रमण का शिकार हुई हैं। रोहतक में तो नीना नाम की आशा वर्कर कोरोना संक्रमित हुई। उसके पति श्वास रोग से पीड़ित थे और उनकी इस महामारी में मौत हो गई। नीना धीरे धीरे ठीक हो रही है। जब हमने नीना के लिए विभाग से ₹50 लाख मांगे तो उन्होंने कहा बीमा आशा के लिए है आशा के परिवार के लिए नहीं।

इतनी सारी मेहनत और इतने सारे काम के बदले आशाओं को क्या मिला? आशाओं को इस सारे काम के लिए केवल ₹1000 प्रोत्साहन राशि दी गई है। गजब की बात है कि इन्हें कोई सुरक्षा उपकरण तक मुहैया नहीं कराए गए, शुरुआत में तो हालात यह रहे कि इन्हें मास्क भी उपलब्ध नहीं करवाये गये। केवल मास्क लेने के लिए भी यूनियन को विभाग से बार-बार मांग करनी पड़ी।

कोरोना वायरस को तमाम लोग एक स्टिग्मा (कलंक) की तरह मानने लगे हैं और अपने लक्षण और अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपाने की कोशिश करते हैं। आशाओं की ज्यूटी है कि वह लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री और लक्षणों की रिपोर्ट विभाग को दें। अपने कर्तव्य का पालन करने के दौरान, इन्हें अक्सरतसामाजिक तिरस्कार, मानसिक प्रताड़ना एवं हमलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम कुछ हद तक कोरोना की लड़ाई में पिछड़ते चले गए। आशाओं पर इस दौरान अनेक तरह के हमले हुए क्योंकि ज्यादातर आशाएं गरीब परिवारों से एवं सामाजिक रूप से भी पिछड़े एवं दलित जातियों से संबंध रखती हैं इसलिए उन्हें अपने गांव की उच्च जातियों एवं दबंगों के बारे में रिपोर्ट देने, उन्हें अलग-थलग रहने की सलाह देने, मोहर लगाने एवं उनकी जानकारियां विभाग तक पहुंचाने पर बहुत सी आशाओं को हमलों का सामना करना पड़ा है। कई हमलों के फलस्वरूप आशाओं को गंभीर चोटें आईं और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इन हमलों में घायल हुए हैं। ज्यादातर हमलों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्यूटी कर रही आशाओं को पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित किया गया।

इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए, बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के, बिना वेतन के, बिना सामाजिक सुरक्षा के तमाम आशा वर्कर्स ने कोविड-19 से लड़ने में शानदार काम किया है। बड़े दुख की बात है कि जिन कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार ने ताली और थाली बजवाई, फूल बरसाए उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाया। उन्हें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए तरह-तरह के विरोध प्रदर्शन एवं हड़ताल करनी पड़ रही है।

हरियाणा में आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं लेकिन अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है।

### **महिलाओं को नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों करना चाहिए?**

**अर्चना प्रसाद**

29 जुलाई 2020 को सरकार ने नई शिक्षा नीति (NEP) को सार्वजनिक किया। यह पूछना जरूरी है की आखिर सरकार पूरी ताकत लगाकर इस नीति का इतना प्रचार-प्रसार क्यों कर रही है? इसका जवाब इस NEP के चरित्र से ही पता चल जाता है।

इस NEP का मकसद पहले की शिक्षा नीतियों खास तौर से 1986 की NEP से भिन्न हैं। 1986 की NEP का प्रमुख मकसद था सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रसार। इसके विपरीत, NEP 2020 शिक्षा को हासिल करके व्यक्तिगत निपुणता और क्षमताओं के विकास पर जोर देता है। इसका अर्थ यह है की पुरुषप्रधानता के विरुध चेतना पैदा करने के लिए शिक्षा के इस्तेमाल के प्रयास को NEP 2020 कमजोर करेगा।

अगर हम इस NEP का गंभीर अध्ययन करते हैं तो बुनियादी लक्ष्यों के परिवर्तन के संबंध में तीन बातें स्पष्ट होती हैं: पहला, महिलाओं को बुरी तरह से शिक्षा की परिधी से बाहर करने की हद तक शिक्षा के निजकरण को बढ़ावा दिया जाएगा; , 'शास्त्रीय' और बहुसंख्यकवादी संस्कृति पर जोर देकर वह शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण की दिशा मजबूत करेगा। इससे सामाजिक प्रतिक्रियावाद जिसका सार पुरुषप्रधानता है को नई जिंदगी मिलेगी। इससे ऐसी चेतना तयार की जाएगी जो महिला मुक्ति की परियोजना के वीरुध है। तीसरा, महिलाओं और आँय सामाजिक-आर्थिक कमजोर तबकों के लिए निचले स्तर की शिक्षा का प्रसार करके, NEP समानता के सिद्धान्त के प्रति उदासीनता का परिचय देती है। सबके लिए शिक्षा की उसकी संवैधानिक प्रतिबद्धता नाम मात्र की ही है।

इस नई नीति को हमें नव-उदारवादी नीतियों के संदर्भ में देखना होगा। NDA से पहले की सरकार के जमाने से शिक्षा के निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को प्रस्तावित किया जाता रहा और इसका प्रतिरोध भी जारी रहा। शिक्षा के बाजारीकरण को शिक्षा पर राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा बहुत ही कम खर्च करने के फलस्वरूप बहुत प्रोत्साहित किया गया था। NEP 2020 में इस खर्च को GDP के 6% तक बहुत जल्द बढ़ा देने का दावा करती है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा राज्यों को वहन करना होगा लेकिन इस नीति को लागू करने का नतीजा तो यह होगा की शिक्षा पर राज्यों का नियंत्रण बहुत कम रहे जाएगा। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया है की बड़े हुए खर्च को 'निजी और कल्याणकारी फंडिंग' से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यह तो शिक्षा पर सरकारी खर्च के विस्तार की सोच के बिलकुल विपरीत है। इसका नतीजा होगा कि विचारधारा से प्रेरित प्रयासों की बाँदी बन कर रहे जाएगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, इस बात का खतरा है कि पूंजीवादी नियंत्रण के साथ शिक्षा को दक्षिणपंथी सोच का भी शिकार बनाया जाएगा।

NEP महिला मुक्ति के अनुरूप उदार और प्रगतिशील मूल्यों का प्रसार नहीं करती है। उसका जोर तो भारतीय 'परम्पराओं' को संस्कृत और प्राचीन भारत पर जोर देकर बढ़ावा देने पर है। इस नीति में आधुनीकता की बात केवल टेकनोलोजी पर आधारित और डिजिटल पढ़ाई के संदर्भ में आती है। उन आधुनीक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच जिनको शिक्षा का निहित हिस्सा बनाया जाना चाहिए का कोई जिक्र नहीं है। इस अर्थ में, इस नीति ने पहले की नीतियों के लक्ष्यों को कमजोर किया है और उनको पलटने का काम भी किया है। 'भारतीय परम्पराओं' और 'जड़ों' पर बार-बार जोर देना, समाज में मौजूद पुरुषप्रधान दिशाओं को मजबूत करेगा और यह छात्रों को परोसे जाने वाली शिक्षा के सार का भी हिस्सा बनेगा। इस तरह की शिक्षा आरएसएस के लक्ष्यों के अनुरूप है। आरएसएस शिक्षा का 'भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और अध्यात्मिकरण' करने का लक्ष्य रखती है और इसी के अनुरूप उसके संचालन में चलने वाले विद्या भारती का शैक्षणिक नेटवर्क काम करता है। बल्कि, जिस तरह के नियमों के अनुसार NEP निजी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने की बात करता है, उससे जाहिर है कि वह आरएसएस द्वारा संचालित तमाम शैक्षणिक संस्थानों को ही शिक्षा व्यवस्था सौंपने की सोच से प्रेरित है। आज, आरएसएस द्वारा संचालित हजारों स्कूल चल रही हैं जो बच्चों में बहुत ही कम उम्र से ही हिन्दुत्व के अजेंडे के प्रति प्रभावित करने का काम कर रहा है। NEP तमाम पीड़ित हिस्सों के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में खामोश है। आरक्षण और छात्रवृत्ति के बारे में भी उसमें खामोशी है।



निश्चित तौर पर इसका पीड़ित और वंचित हिस्सों को शिक्षा हासिल करने से ही यह बातें दूर रखेंगी और इन हिस्सों की औरतें और बच्चियाँ सबसे अधिक वंचित रहेंगी।



NEP द्वारा प्रस्तावित ढांचागत परिवर्तन भी महिलाओं और बच्चियों को शिक्षा से दूर रखेंगी और उन्हें ऐसी गुणात्मक शिक्षा जिसका दाम वे दे सकती हैं से वंचित रखेंगी। 1 NEP छोटे बच्चों की शिक्षा को स्कूल के ढांचे के अंतर्गत लाना चाहती है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे और उनकी माताओं को आंगनवाड़ी योजना द्वारा प्राप्त किए जा रहे पौष्टिक आहार से वंचित कर दिया जाएगा। यही नहीं, इन परिवर्तनों का आंगनवाड़ी कर्मियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको कोई जिक्र नहीं है। 2 स्कूली शिक्षा: NEP स्कूली शिक्षा में स्वयं पंजीकरण लागू करना चाहती है। इसका मतलब है कि स्कूल का प्रशासन या मालिक ही तय करेगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं पर्याप्त हैं कि नहीं। इस तरह, कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है वह मानक न होकर, किसी भी तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जाय यह मानक हो जाएगा। इससे शिक्षा की असमानता और बढ़ेगी। यही नहीं, किस तरह की फ़ीज वसूली जाएंगी, क्या उन पर कोई सीमा तय होगी – इन महत्वपूर्ण सवालों पर भी खामोशी है।

3 NEP ने शिक्षा की पद्धति में कई ऐसे परिवर्तन भी किए हैं जो काफी आकर्षित दीख पड़ते हैं: डिग्री पाने के साथ साथ डिप्लोमा पाने की सुविधा होगी; कोर्स से प्रस्थान करने की भी सुविधा होगी। लेकिन डिप्लोमा का मूल्य क्या होगा, शिक्षा छोड़कर, भविष्य क्या होगा, इन बड़े सवालों के कोई उत्तर नहीं हैं। इन सारे प्रस्तावों के पीछे सोच तो यही है कि गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वालों के प्रति सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनकी मदद करके, उनकी पढ़ाई को जारी रखा जाये। इसके विपरीत, पढ़ाई छोड़ना आसान करके, सरकार अपनी ज़िम्मेदारी को त्याग कर छोड़ने वाले छात्र के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इस तरह, गुणात्मक सार्वजनिक के स्थान पर, NEP एक घटिया और महंगी पढ़ाई का विकल्प पेश कर रही है। 4 शोध: NEP का एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है और वह है कि एक राष्ट्रीय शोध संस्थान को स्थापित किया जाएगा और एक केंद्रीकृत फंड के जरिये शोध कि प्राथमिकताएँ और फंडिंग को तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर तरह के शोध



का कार्य पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर और सरकार के नियंत्रण में चलेगा। 5 NEP कई तरह की कमेटियों की बात करता है लेकिन कहीं भी इसका खुलासा नहीं करता कि क्या इनमें महिलाओं और एससी/एसटी के लिए जगह आरक्षित होंगी कि नहीं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि NEP 2020 शिक्षा का एक ऐसे ढांचे को खड़ा करना चाहता है जिसके खंबे सामाजिक प्रतिक्रियावाद और बाजारू मूलतत्त्ववाद हैं। मौजूदा प्रणाली की त्रुटियों को दूर करना, उसे और उदार और प्रजातांत्रिक बनाना, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का हर स्तर पर विस्तार करना और एक आम शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना उसके लक्ष्य नहीं हैं। इसलिए, यह अनिवार्य है कि आगे बढ़ कर महिलाओं और उनके परिवारों को NEP 2020 के खतरों के बारे में आगाह करे। इस नीति के कृत्यंवन को रोकने के लिए एक जबरदस्त जन आंदोलन आवश्यक है क्योंकि यह नीति राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली को आरएसएस और उसके कारपोरेट मित्रों के हाथों में सौंपने चाहती है।

(अर्चना प्रसाद के इस लेख को थोड़ा संक्षिप्त और सरल करने का प्रयास किया गया है – संपादक)

## निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के नाम पर भारी लूट

मनजीत राठी

*(निजी अस्पतालों का असली चेहरा इस कोरोना के संकट के दौरान देखने को मिल रहा है: इनको सेवा और स्वास्थ्य से कम मतलब है और लूट व मुनाफाखोरी से ज़्यादा। देश के कई इलाकों से बहुत ही दर्दनाक घटनाओं की रिपोर्ट आ रही हैं। दो उदाहरण पेश हैं:)*

पश्चिम बंगाल के पूर्वीय मिदनीपूर में 12 अगस्त को 'एक्सप्रेस समाचार सेवा' में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, कोलकाता में एक 60 वर्षीय कोविड -19 संक्रमित महिला की एम्बुलेंस के अंदर ही हो गयी। एम्बुलेंस ईएम बाईपास पर एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ी थी। महिला के परिवार जन ने बताया "अस्पताल के अधिकारियों ने हमें उसे दाखिल करने के लिए 3 लाख रुपये देने के लिए कहा था। जब हम पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान मरीज की मौत हो गई। हमने पहले ही अस्पताल को बताया था कि मरीज की हालत गंभीर है और परिवार जल्द ही राशि जमा करेगा"। उस महिला का पति भी कुछ ही दिन पहले कोरोना की चपेट में आकर मर चुका था।

हावड़ा में एक अन्य घटना में, एक व्यक्ति को कोविड संक्रमण के कारण अपने मृत पिता का शव देखने के लिए कथित तौर पर 51,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। पीड़ित परिवार के अनुसार, "अस्पताल ने हमें तुरंत मौत की सूचना नहीं दी।" मृतक के बेटे सुभाष गुप्ता ने कहा कि हमें शव देखने के लिए 51,000 रुपये देने को कहा गया। अंत में, 2,500 रुपये का भुगतान करने के बाद ही शव को देखने को मिला।

देश की राजधानी दिल्ली भी इस तरह के लूट का केंद्र है। वहाँ की श्रीमती मयंका संघोत्रा की आपबीती सुनिए। उनका कहना है "24 जून को जब पता चला कि उनकी माँ, नरेन्द्र कौर का कोविड टेस्ट पाज़िटिव आया है, तो, ऑनलाइन सूचीबद्ध सरकारी हेल्पलाइन नंबरों में से किसी से भी संपर्क न हो पाने के बाद, मैंने पाया कि शांति मुकंद अस्पताल, जो मेरे घर से लगभग दस

मिनट की दूरी पर स्थित है, कोरोनावायरस से संक्रमित रोगियों के लिए समर्पित है। मैंने अपनी माँ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। शांति मुकंद के डॉक्टरों ने कहा कि 52 वर्षीय नरेंद्र कौर की हालत गंभीर है, उसका ऑक्सीजन का स्तर बहुत अस्थिर है। जब मुझे बताया गया कि अस्पताल ने 4 लाख रुपये में COVID पैकेज तय्यार की है और इतनी राशि जमा करने पर वे तुरंत इलाज शुरू करेंगे, तो मैंने किस्तों में राशि जमा करवा दी।

डॉक्टरों ने मुझे आश्वासन दिया कि माँ की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं। 1 जुलाई को, मुझे सूचित किया गया कि माँ को अब वेंटिलेटर की जरूरत है लेकिन तीन इंजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी, प्रत्येक इंजेक्शन 40,000/- की थी। फिर मुझे एंटी वायरल ड्रग खरीदने को कहा गया जो जो 30,000 रुपये से 80,000 रुपये की कीमत पर काला बाजार में उपलब्ध थे। डॉक्टरों ने छह शीशियां मांगी थीं। मैंने किसी तरह से यह सब कुछ जुटाया और बाकी भी तमाम जरूरतें पूरी की। इसके बावजूद, 5 जुलाई तक इलाज का बिल बढ़ कर साढ़े सात लाख हो चुका था। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए अधिकतम राशि सीमा भी निर्धारित की है। मैंने आप पार्टी के लोगों से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी और जहां भी संभव हुआ, हर मंच पर गुहार लगाई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जब हस्पताल से ये फोन आया कि पूरा राशि जमा करवाओ या मरीज को वापस ले जाओ, तो मैंने करीब साढ़े चार लाख रुपए भर दिए। कुछ देर बाद ही अस्पताल से फिर फोन आया कि उ माँ का ऑक्सीजन स्तर बहुत अस्थिर हो गया है और फिर माँ की मौत हो गई।“

### **केरला में सरकार द्वारा निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित दर और नियम**

26 जुलाई को केरला की सरकार ने उन दरों की घोषणा की जिनको कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल वसूल सकते थे। इसके साथ ही सरकार ने उन मरीजों को जो कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के लाभकारी हैं और उन मरीजों के लिए जिन्हें सरकारी अस्पतालों द्वारा निजी अस्पतालों में रिफर किया है को आश्वस्त किया कि उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अन्य मरीजों को अपना खर्च (निर्धारित दर पर) खुद वहन करना होगा। (KASP राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना है जिसका खर्च लाटरी से कमाए गए पैसों से चलता है)।

स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के दरों के साथ, उन तमाम शर्तों एवं प्रोटोकॉल को भी तय किया है जिनका पालन निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। इन शर्तों और प्रोटोकॉल के तमाम पहलू हैं और इनको सख्ती से लागू किया जा रहा है।

### **निजी अस्पताल के दर इस प्रकार हैं:**

जनरल वार्ड – 2,300/- प्रति दिन; बिना वेंटिलेटर का ICU – 6,500/- प्रति दिन; वेंटिलेटर सहित ICU – 11,500/-; टेस्ट के दर भी 1,500 – 3,300 के बीच तय हैं। स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती के के शैलजा ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी निजी अस्पताल को सरकार द्वारा तय दर से एक पैसा अधिक वसूलने का अधिकार नहीं है।

किसी प्रकार की शिकायत को जिला शिकायत निवारण समिति जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी है के सामने रखा जा सकता है।

(उक्त जानकारी AIDWA की केरला की राज्य मंत्री, टी एन सीमा, से प्राप्त हुई – संपादक )

**बलात्कार पीड़िता को जेल, नितीश राज का न्याय**

**रामपरी**

अररिया जिला की एक लड़की के साथ 6 जुलाई की रात्रि में चार युवको ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके, उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। लड़की को जब होश आया तो डरी सहमी अपने घर न जाकर वह स्वयंसेवी संगठन, जन जागरण, की कार्यकर्ता, कल्याणी के पास मदद के लिए पहुंची। उनकी मदद से महिला थाना में पीड़िता का एफ आई आर दर्ज हुआ और उसका मेडिकल भी हुआ। 10 जुलाई को मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता 164 का बयान के लिए गई। इस बीच, पीड़िता के मोहल्ला वालों ने उस पर बदचलन होने का आरोप लगाया। बार बार बयान देने से भी पीड़िता परेशान हो गई। आरोपी भी मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाने लगे। विचलित मानसिक स्थिति में पीड़िता अकेले देना के लिए नहीं जाना चाहती थी और वह कल्याणी को बार बार बुला रही थी। इस पर मैजिस्ट्रेट ने नाराज होकर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में पीड़िता को कल्याणी और उसकी सहयोगी, तन्मय, को जेल भेज दिया। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण कदम लेते वक्त उसे इस बात की चिंता नहीं थी की कोरोना के दौर में वह तीन निरपराध लोगों को जेल भेजकर उन्हें कोरोना के मुंह में धकेल रहा था। पीड़िता तो जेल पहुंचा दी गयी लेकिन आरोपी आज़ाद घूमते रहे। यह बिहार में कोई अनोखी बात भी नहीं है। उक्त मामले में एडवा समेत करीब 20 से 25 महिला संगठनों की ओर से पीड़िता को न्याय एवं बलात्कारियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा की मांगो को जोरदार तरीके से उठाया गया। पूरे 25 दिन के बाद ही पीड़िता और उसकी मदद करने वाले जेल से छूटे।



कोरोना काल में, बिहार के जदयू -भाजपा के शासन में महिलाओं और बच्चियों के ऊपर हिंसा की घटनाएँ बहुत बढ़ी हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक गरीब महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाकर, उसे रस्सी में बांध कर उसकी बुरी तरह पिटाई की गयी। जब पुलिस के पास पीड़िता अपने पति के साथ गई तो उन्हें फटकार कर भगा दिया गया। पटना के पीएमसीएच के सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक लड़की के साथ सिक्युरिटी गार्ड द्वारा बलात्कार की शर्मनाक घटना घटी और स्वास्थ्य मंत्री चुप रहे। दरभंगा में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी। मधुबनी में एक लड़की के साथ चार लड़कों ने बलात्कार का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पटना के राजवंशी नगर में एक नेपाली लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। इन तमाम मामलों में पीड़िता को ही न्याय की तालाश में धक्के खाने पड़ते हैं।

## ईदगाह मुंशी प्रेमचंद

रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है.

आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं. किसी के कुरते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई-तागा लाने को दौड़ा जा रहा है. किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है. जल्दी-जल्दी बैलों को सानी-पानी दे दें. ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी. तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं. किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. रोजे बड़े-बूढ़ों के लिए होंगे. इनके लिए तो ईद है. रोज ईद का नाम रटते थे. आज वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन. सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैयाँ खाएँगे. वह क्या जानें कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायमअली के घर दौड़े जा रहे हैं! उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आँखें बदल लें, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार-बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं.

महमूद गिनता है, एक-दो, दस-बारह. उसके पास बारह पैसे हैं. मोहसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं. इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएँगे-खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या-क्या!

और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद. वह चार-पाँच साल का गरीब-सूरत, दुबला-पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई. किसी को पता न चला, क्या बीमारी है. कहती भी तो कौन सुनने वाला था. दिल पर जो बीतती थी, वह दिल ही में सहती और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है. उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं. बहुत-सी थैलियाँ लेकर आएँगे. अम्मीजान अल्लाहमियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है. आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं.

हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी-धुरानी टोपी, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएँगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा. तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे.

अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं. आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. किसने बुलाया था इस निगौड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद! उसे किसी के मरने-जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा. विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद-भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी.

हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है-तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊँगा. बिलकुल न डरना.

गांव से मेला चला. और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते. फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते. ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं. वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. पक्की चारदीवारी बनी हुई है. पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं. कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है. माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है. लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर हैं. खूब हँस रहे हैं. माली को कैसे उल्लू बनाया है!

अब बस्ती घनी होने लगी थी. ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के-ताँगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग.

ग्रामीणों का वह छोटा-सा दल, अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था. बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं. जिस चीज की ओर ताकते, ताकते ही रह जाते. और पीछे से बार-बार हार्न की आवाज होने पर भी न चेतते. हामिद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा.

सहसा ईदगाह नजर आया. ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है. नीचे पक्का फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है. नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं. आगे जगह नहीं हैं. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता. इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए.

कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था! लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब-के-सब एक साथ खड़े हो जाते हैं. एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं. कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बतियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएँ और यही क्रम चलता रहे. कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएँ, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं. मानों भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं.

नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं. तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है. ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. यह देखो, हिंडोला है. एक पैसा देकर जाओ. कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए. चर्खी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट, छड़ों से लटके हुए हैं. एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चीस चक्करों का मजा लो. महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं. हामिद दूर खड़ा है. तीन ही पैसे तो उसके पास हैं. अपने कोष का एक तिहाई, जरा-सा चक्कर खाने के लिए, वह नहीं दे सकता.

खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं. किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. मजे से खा रहे हैं. हामिद बिरादरी से पृथक है. अभागे के पास तीन पैसे हैं. क्या नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी और देखता है.

मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था. वह सब आगे बढ़ जाते हैं. हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. कई चिमटे रखे हुए थे. उसे खयाल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियाँ उतारती हैं, तो हाथ जल जाता है. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, तो वह कितनी प्रसन्न होगी! फिर उनकी उँगलियाँ कभी न जलेंगी. घर में एक काम की चीज हो जाएगी. खिलौने से क्या फ़ायदा. व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं. उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है?

दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, 'यह तुम्हारे काम का नहीं है जी'

'बिकाऊ है कि नहीं?'

‘बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं?’

‘तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है?’

‘छः पैसे लगेंगे?’

हामिद का दिल बैठ गया. ‘ठीक-ठीक बताओ.’

‘ठीक-ठाक पाँच पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो’

हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा-तीन पैसे लगे?

यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने. लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दीं. बुलाकर चिमटा दे दिया. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया.

ग्यारह बजे सारे गाँव में हलचल मच गई. मेले वाले आ गए. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे. इस पर भाई-बहन में मार-पीट हुई. दोनों खूब रोए. उनकी अम्मां शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो-दो चांटे और लगाए.

अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. सहजा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी.

‘यह चिमटा कहाँ था?’

‘मैंने मोल लिया है.’

‘कै पैसे में?’

‘तीन पैसे दिए.’

अमीना ने छाती पीट ली. यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया, न पिया. लाया क्या, चिमटा. सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया?

हामिद ने अपराधी-भाव से कहा-तुम्हारी ऊँगलियाँ तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया.

बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है. यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ. बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव और कितना विवेक है! दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा! इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. अमीना का मन गदगद हो गया.

और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई. हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र. बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था. बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई. वह रोने लगी. दामन फैलाकर हामिद को दुआएँ देती जाती थी और आँसू की बड़ी-बड़ी बूँदें गिराती जाती थी. हामिद इसका रहस्य क्या समझता





(ग्वालियर की AIDWA की इकाई ने इस कहानी पर आधारित बच्चों की चित्र प्रतियोगिता कारवाई थी। उसमें भाग लेने वाले ध्रुव और उसका चित्र)

**'इंडियन मैचमेकिंग' की वेब सीरीज़ दिखाती है की जाति प्रथा की स्वीकार्यता कितनी सहल है**  
याशिका दत्ता

(‘इंडियन मैच मेकिंग’ नेट फ्लिक्स पर जनप्रिय वेब सीरीज़ जो अमेरिका में बसे और भारत के रईस परिवारों की अपने बच्चों की तय की गयी शादी की चिंताओं और अनुभवों पर आधारित है।)

।...मुंबई में रहने वाली शादी तह करने वाली सीमा तपारिया अमेरिका के सीरीज़, जो शादी लगाने से संबन्धित हैं, की तरह वादा करती है कि उसके द्वारा लगाए गए रिश्ते अटूट हैं। इस घिसे-पिटे मंत्र से हटकर लेकिन वह एक विशेषता पर ध्यान केन्द्रित करती है – जाति।

उस हर सुसज्जित कमरे पर लटकने वाली यह एक खामोश साया है जिसके अंदर वह अपने दर्शकों को ले जाती है। अपनी सीरीज़ के पहले 4 मिनट में वह बताती है 'भारत में हमें जाति देखनी पड़ती है जैसे हमें लंबाई और उम्र देखनी पड़ती है'। लोगों को जन्म से ही अनुक्रम में स्थायी स्थान देने वाली प्रणाली को वह है जो लोगों के शारीरिक पसंद के साथ गडमड कर देती है। जाति का नाम बहुत कम लिया जाता है लेकिन तपारिया द्वारा प्रस्तुत शादी के इच्छुक लोगों की चाहतों की तालिका में वह दिखाई तो देता है। उसकी तरफ इशारा उन्हीं भोले-भाले शब्दों द्वारा किया जाता है 'एक तरह की परवरिश', 'एक तरह के समुदाय', 'संभ्रांत परिवार' जिनका प्रयोग कई उच्च-जातीय भारतीय परिवार करते हैं जब वह इस पेचीदा विषय पर बातचीत करते हैं। इससे जाति अदृश्य हो जाती है।

भारतीय समुदायों में जाति की निहितता, जो तय की गयी शादियों की परधी से बहुत दूर तक जाति है, का उन लोगों के लिए खतरनाक परिणाम हैं जिनका जन्म 'नीच' जातियों में हुआ है। (मैं खुद दलित हूँ। जो पहले 'अछूत' के नाम से जाने जाते थे, अब यह उनके द्वारा चिन्हित पहचान है।)

अमेरिका में भी पक्षपातिपूर्ण व्यवहार केवल काम की जगह पर ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी देखा गया है.....जब 'इंडियन मैच मेकिंग' जैसी जनप्रिय सीरीज़ जाति-भेद जैसी भारतीय-अमेरिकन अनुभव की डरावनी सच्चाई के प्रति उदासीनता दिखाती है तो एक अंतरराष्ट्रीय दर्शक समूह के लिए जाति सामान्य बन जाता है।

दर्शकों की सोच के विपरीत, जाति प्रणाली एक सक्रिय प्रणाली है जो भारत के अंदर और अमेरिका के भारतीय मूल के नागरिकों में जिंदा है। इस यथास्थिति को बनाए रखना, तय की गयी शादियों का एक प्राथमिक काम है। इस बात को भारतीय समाचार पत्रों के 'शादी के कालम' पर सरसरी निगाह घूमाकर प्रमाणित किया जा सकता है जो 'जाति चाहिए'की सुर्खियों से भरपूर हैं। शादी तय करने वाली वेब साइट भी ग्राहकों को 'ब्राह्मण दुल्हन' या 'राजपूत वर' ढूंढकर दिलवाने का वादा करते हैं और, साथ ही, नीची जातियों के लोगों को अलग कर देते हैं। इंडियन मैच मेकिंग के अनुसार, अपनी जाति में शादी करना एक हानिरहित फैसला है जैसे 'अपने परिवेश' या 'एक जैसे मूल्यों' वाले को चुनना। यह एक ऐसी प्रणाली है जो वर्चस्व वाली जातियों को अपनी ताकत बनाए रखने में मदद करती है।

नस्ल की तरह, जाति एक ऐसी पहचान है जो बदलती नहीं, जो मिटती नहीं और जिससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। वर्चस्व वाली जातियों और अछूत जातियों के बीच शादी सामाजिक अनुक्रम के लिए खतरा है। इसीलिए वर्चस्व वाली जाति के लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ बर्बर हिंसा से पेश आते हैं जब वे अंतर्जातीय विवाह करते हैं, खास तौर से अगर एक व्यक्ति दलित है....

जब से यह सीरीज़ शुरू हुई है, तब से इसकी भारतीय और अमेरिकी मीडिया में इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि वह रंग, दहेज, लिंगभेद, शरीर को लेकर शर्मिंदा करना और, हाँ, जाति के मुद्दों से मुखातिब नहीं हो रही है। हालांकि शो का नाम इंडियन मैच मेकिंग है, इसमें कोई भी मुस्लिम, ईसाई और दलित समुदाय के लोग नहीं दिखाये गए हैं जब कि यह मिलाकर भारत की आबादी का 40% हिस्सा हैं....

...इंडियन मैच मेकिंग की निगरानी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वह उस प्रणाली (तय की गयी शादी) का प्रसार करती है जिसने सदियों से जाति प्रथा को जिंदा रखने, सांस लेने और अपना चेहरा बदलने का मौका दिया है। इंडियन मैच मेकिंग कुछ चुभने वाले पहलू के लिए जगह देती है ताकि पैनी निगाह वाले दर्शक इस बात से सहमत हो जाएँ कि, अंततोगत्वा, भारतीय तय की गयी शादियाँ इतनी बुरी नहीं हैं। और यह शो की सबसे ज़्यादा आतंकित करने वाला पहलू है।

यह लेख अमेरिका के 'दी अटलांटिक' पत्रिका में 1 अगस्त को छपा था। इसका संक्षिप्त अनुवाद संपादक ने किया है।)



## अमेरिका मे डेमोक्रेटिक पार्टी की उप राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नामांकन

### संपादक

एडवा ने हमेशा सार्वजनिक पदों मे महिलाओं की उपस्थिती को बढ़ाने का समर्थन किया है। आज भी, दुनिया भर मे निर्वाचित महिलाओं की संख्या बहुत कम है – हमारे देश मे भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सार्वजनिक जीवन मे महिलाओं का योगदान, जन आंदोलनो मे उनकी ज़बरदस्त हिस्सेदारी, उत्पादन और सामाजिक विकास मे उनकी अमूल्य भागीदारी, इन सबके बावजूद उन्हे प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है और उंजी योग्यता पर अनुचित सवाल खड़े किए जाते हैं।

इस संदर्भ मे, डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उप राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का चयन स्वागत योग्य है। वह केवल महिला ही नहीं, एक काली नस्ल की महिला हैं। उनकी माँ दक्षिण भारत की हैं और उनके पिता, जमेका के। उनका जन्म अमेरिका मे ही हुआ था और उन्होने हमेशा अपने आपको काला ही माना है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के राजनैतिक माहौल को 'काली जानो की एहमियत' के आंदोलन ने आश्चर्यजनक पैमाने पर बदल कर रख दिया है, कमला हैरिस का चयन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

उनके दृष्टिकोण और नीतियों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा लेकिन 8 अक्तूबर, 2019 के उनके इस बयान का निश्चित तौर पर हम स्वागत कर सकते हैं। उन्होने कहा 'हमे कश्मीरियों को यह एहसास दिलाना होगा की वे अकेले नहीं हैं'।

**फॉलो करे :**

**फेसबुक:** <https://www.facebook.com/AIDWA/>

**वेबसाइट:** <http://www.aidwaonline.org>